शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 31.03.2024

पुवायाँ पुलिस द्वारा मुड़िगवाँ के जघन्य हत्याकाण्ड का सफल अनावरण करते हुए दो नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तारः-

श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार , श्री मनोज कुमार अवस्थी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी पुवायाँ श्री पंकज पंत के कुशल पर्यवेक्षण मे चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम मे थाना पुंवायाँ पुलिस टीम को मुखविर की सूचना पर ग्राम मुडिगंवा थाना पुवायां जिला शाहजहाँपुर मे हुई मृतक धर्मजीत की जघन्य तरीके से की गयी हत्या के अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 28.03.2024 को वादी श्री नीतीश कुमार पुत्र धर्मजीत निवासी ग्राम मुड़िगवाँ थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 225/2024 धारा 302 भादवि अभियुक्तगण 1.सोहित उर्फ शोभित पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम मुडिंगवा थाना पुवायां जनपद शाहजहाँपुर 2. (नरेश पुत्र गिरवरदयाल का साला) नेतराम पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम भूडा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर के द्वारा वादी के पिता धर्मजीत उम्र करीब 54 वर्ष को दिनांक 27.03.2024 की शाम को 4 बजे ले जाकर तथा धर्मजीत की डण्डे से सिर व मुँह पर ताबड तोड़वार कर चेहरे को बूरी तरह क्षतिग्रस्त कर व गला काटकर हत्या कर देने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था उक्त घटना को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ श्री प्रदीप कुमार राय को तत्काल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये जिस पर प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन मे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी तथा घटना के सम्बन्ध मे ठोस साक्ष्य संकलित किये गये।

आज दिनांक 31.03.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. शोभित उर्फ सोहित पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम मुड़िगवाँ थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर 2. नेतराम पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम भूड़ा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर बण्डा रोड़ स्थित टोल प्लाजा पर कही जाने की फिराक मे खडे है अगर जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है । मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस वालो ने भागने का मौका दिया बिना टोल प्लासा दो व्यक्तियो को पकड लिया पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम शोभित उर्फ सोहित पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम मुड़िगवाँ थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर तथा दूसरे ने अपना नाम नेतराम पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम भूड़ा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर बताया जोकि मुकदमा हाजा का वाछिंत अभियुक्तगण है अतः इनको कारण गिरफ्तारी बताकर टोल प्लासा से समय करीब 12.42 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. शोभित उर्फ सोहित पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम मुड़िगवाँ थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. नेतराम पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम भूड़ा थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 225/2024 धारा 302 भादवि थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 भूपेन्द्र राणा थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 2049 आकाश चौहान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2713 प्रवीन दहिया थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2501 हिमांशु प्रजापति थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 चा0 क्रान्ति भाई थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि दिनांक 27.03.2024 को हमने गांव मे ही काफी शराब पी ली थी इसी दौरान लगभग 4 बजे मुड़िगवा गांव के नरेश का साला नेतराम जोकि अक्सर मुड़िगवा आता रहता था एवं शोभित उर्फ सोहित के साथ दोस्ती थी एवं साथ ही शराब पीता था शोभित उर्फ सोहित के गांव के ही धर्मजीत जोकि वादी मुकदमा के नीतीश के पिता है कि दोनो अभियुक्तगण से अच्छी बनती थी एवं धर्मजीत भी शराब पीने का आदि था उपरोक्त सभी लोग अक्सर गांव के आसपास स्थित ठेको पर जाकर साथ साथ शराब पीते थे। दिनांक 27.03.2024 को शाम को नेतराम अपने गांव भूड़ा थाना बण्डा से मोटरसाईकिल से अपने जीजा नरेश के घर पर आया था एवं वहाँ से अपने रिश्तेदारो से मिलने के बाद पहले शोभित उर्फ सोहित के पास गया एवं कहा कि चलो किसी शराब के ठेके पर चलते है शराब पीता है नेतराम व शोभित उर्फ सोहित पहले से ही काफी नशे मे थे इसी दौरान उक्त अभियुक्तगणो को धर्मजीत भी साइकिल से जाते दिखाई दिये जिसपर उक्त सभी लोगो ने शराब पीने के लिए ठेके पर साथ चलने की बात तय हुई एवं धर्मजीत भी मोटरसाईकिल पर बैठकर मुड़िगवाँ से मझिगवाँ थाना क्षेत्र पुवायाँ के ठेके पर पहुँचे एवं वहाँ पर उक्त तीनो ने ठेके से कई शराब की फ्रूटिया खरीदी था एंव उक्त शराब लेकर उक्त सभी लोग ग्राम मुड़िया कुर्मियात रामलीला ग्राउट स्थित नल के पास पहुँचे एवं वहाँ बैठकर शराब पिया था। चुंकि उक्त लोग पहले से ही काफी नशे मे थे और अधिक शराब पी लेने के कारण नशा काफी ज्यादा हो गया था। इसी दौरान धर्मजीत द्वारा एवं हल्का फुल्का अंधेरा भी हो गया था इसी दौरान धर्मजीत द्वारा और शराब पिलाने के लिए नेतराम से जिद किया जाना लगा जिस पर नेतराम व शोभित द्वारा और शराब पिलाने से मना कर दिया था। जिससे नाराज होकर धर्मजीत, नेतराम व शोभित उर्फ सोहित को माँ बहन की माँ बहन की गालिया देना लगा था। धर्मजीत को गालिया देने उक्त दोनो द्वारा जब मना किया गया था। तो वह लगातार गालिया देता रहा इसी दौरान जब तीनो मोटरसाईकिल पर बैठकर सवलापुर से मुड़िगवाँ गांव को जाने वाले चकरोड़ मार्ग पर स्थित बिटोरे के पास गाड़ी रोककर धर्मजीत से गाड़ी देने को मना किया तो वह वहीँ पर लेट गया और लगातार माँ बहन की गन्दी गन्दी गालिया देता रहा एवं बार बार झगडने के उद्देश्य से लिपट जा रहा था

जिससे शोभित उर्फ सोहित व नेतराम काफी उत्तेजित हो गये एवं शोभित द्वारा वही पास मे पड़े मोटे डण्डे से धर्मजीत के सिर व चेहरे पर कई बार किये गये तथा नेतराम द्वारा धर्मजीत के सीने पर बैठकर उसका गला दवाया गया था एवं पूनः नेतराम ने शोभित उर्फ सोहित से उक्त डण्डे को लेकर ताबडतोड़ कई बार धर्मजीत के चेहरे पर किया था। कुछ देर बाद जब धर्मजीत निढाल पढ़ गया एवं हिलाने डुलाने पर भी जब कोई हरकत उसके शरीर पर नही आयी तो शोहित पैदल ही अपने गांव की तरफ चला गया था एवं नेतराम अपनी मोटरसाईकिल लेकर अपने घर को चला गया था। चुंकि उस समय दोनो काफी नशे मे थे अतः यह ध्यान नही दिया कि धर्मजीत की मृत्यु हो चुकि है अथवा नही दौराने पूछताछ अभियुक्तगण द्वारा अपने जुर्म का इकबाल करते हुए धर्मजीत की हत्या की बात को लगा घोटकर व डण्डे से पीटकर हत्या किये जाने की बात स्वीकार की गयी है एवं मृतक के शव के पास स्थित बरामद पुनः खुन आलूदा मोटे डण्डे की भी शिनाख्त की गयी है। अभियोग उपरोक्त मे अन्य पहलुओ की भी घहनता से जाँच की जा रही है।